:: न्यायालय : अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन (म0प्र0) ::

समक्ष – श्रीमती उषा गेडाम

Registration No. RCS/HM/583/2022
Filing No. RCS HM/654/2022
CNR No. MP13020011282022
Filing Date 20-10-2022

श्रीमती प्राची पति सानिध्य त्रिपाठी, पुत्री दिलीप शर्मा, आयु 32 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी, निवासी–5, विवेकानंद कॉलोनी, उज्जैन म.प्र.

.....प्रार्थी क्रं.1

एवं

सानिध्य पिता राजेश त्रिपाठी, आयु–34 वर्ष, व्यवसाय–नौकरी, निवासी–103/ए/1, तिलक मार्ग, उज्जैन

.....प्रार्थी क्रं.2

// निर्णय //

(दिनांक 10.05.2023 को घोषित)

1. प्रार्थीगण द्वारा धारा 13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका से हिंदू विधि से संस्कारित उनके विवाह को परस्पर सहमति से विच्छेदित किये जाने का अनुतोष चाहा है।

2. याचिका के सुसंगत तथ्य है कि प्रार्थीगण का हिंदू रीति रिवाज से दिनांक 08.07.2016 को शहर उज्जैन में विवाह हुआ था। उनके वैवाहिक संबंधों से कोई संतान नहीं है। विवाह बाद से ही उनमें अत्यधिक वैचारिक मतभेद रहे हैं। वर्ष–2019 से वे पृथक रह रहे हैं। उनके मध्य सुलह समझाईश के सभी प्रयास भी विफल रहे हैं। उनके मध्य अत्यधिक वैचारिक मतभेद बढ जाने से उनका भविष्य में भी साथ रहना संभव नहीं है। प्रार्थी प्राची ने प्रार्थी सानिध्य से स्थायी भरणपोषण हेतु कुल 4,50,000/–रूपये चेक से प्राप्त करने पर सहमति दी है। अतः उनके द्वारा परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हेतु लेना तय किया है। अतः उनके द्वारा बिना दबाव परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत याचिका

स्वीकार की जावे।

3. याचिका के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :–

क्या प्रार्थीगण वांछित अनुतोष पाने के पात्र हैं ?

4. प्रार्थीगण ने अभिवचन अनुरूप स्वयं की अभिसाक्ष्य दी है कि उनका दिनांक 08.07.2016 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार उज्जैन में विवाह होकर उनके दाम्पत्य संबंध से कोई संतान नहीं है। उनकी विवाह पत्रिका प्रदर्श ए–1 तथा विवाह फोटोग्राफ प्रदर्श ए–2 हैं। प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण नहीं पाते हुये प्रमाणित है कि प्रार्थीगण हिंदू विधि से संस्कारित विवाह से वैध विवाहित पति–पत्नी हैं तथा उनके वैवाहिक संबंधों से कोई संतान नहीं है।

5. प्रार्थी प्राची एवं सानिध्य ने अभिकथन किये हैं कि विवाह बाद अत्यधिक वैचारिक मतभेद बढ जाने से वे वर्ष–2019 से अलग रह रहे हैं। उनके मध्य पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर भी समझौते का हर प्रयास विफल हो जाने से उन्होंने परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद का निर्णय किया है। प्रार्थी प्राची ने प्रार्थी सानिध्य से कुल 4,50,000/–रूपये स्थायी भरणपोषण हेतु प्राप्त किये हैं।उनके मध्य लेन–देन बाबत कोई विवाद नहीं है। उनके द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की गयी है। अतः उनका विवाह विघ ाटित किया जावे।

6. प्रार्थीगण की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित है कि प्रार्थीगण वैध विवाहित पति पत्नी तीन वर्ष से अधिक समय से पृथक निवास कर रहे हैं तथा उनके द्वारा विधिक रूप से सक्षम होते हुये स्वेच्छया याचिका प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थीगण के मध्य सुलह समझाईश के न्यायालय द्वारा किये गये प्रयास भी विफल रहे हैं। उनका भविष्य में साथ रहकर वैवाहिक जीवन निर्वहन करना संभव प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण के मध्य समग्र वैवाहिक विवादों का समाधान हो चुका है। उनके मध्य लेन–देन संबंधी कोई विवाद शेष नहीं है। अतः प्रार्थीगण की परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत याचिका स्वीकार कर उनका विवाह विघटित किया

जाना उचित है।

7. परिणामतः याचिका अंतर्गत धारा 13 (बी) हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :–

(1) प्रार्थी प्राची एवं सानिध्य का दिनांक 08.07.2016 को हिंदू विधि से संस्कारित विवाह परस्पर सहमति के आधार पर निर्णय तिथि से विघटित घोषित किया जाता है।

(2) प्रार्थी प्राची ने प्रार्थी सानिध्य से स्थायी भरणपोषण हेतु कुल 4,50,000/–रूपये प्राप्त कर लिये है। प्रार्थीगण के मध्य समग्र वैवाहिक विवादों का समाधान हो चुका है।

(3) प्रार्थीगण याचिका व्यय स्वयं वहन करेंगे।

तद्नुसार आज्ञप्ति विरचित हो।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार लगाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

सही/–
(श्रीमती उषा गेडाम)
अति.प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(श्रीमती उषा गेडाम)
अति.प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन (म0प्र0)